निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 840) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-20/2026-3312/वि०स०।— ''बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-21 जुलाई, 2026 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव ।

बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-16/2026]

बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–
   (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा ।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–17 में संशोधन।**–उक्त अधिनियम की धारा–17 के पश्चात् नयी उप–धारा (क) निम्नवत् जोड़ी जाती है:–

   ''17(क) इस अधिनियम के अधीन दायर की गयी प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन तथा पुनरीक्षण के आवेदन पर 200/–शुल्क लिया जाएगा । उक्त शुल्क को राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है ।''

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में भूमि का दाखिल–खारिज हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) प्रवृत्त है, उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) अधिसूचित है।

बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–17 के तहत भूमि/भू–खण्ड के दाखिल–खारिज हेतु प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन पर यथा विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने का प्रावधान है । परन्तु, शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान नहीं है ।

बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है । राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व में वृद्धि की आश्यकता होती है । विभिन्न विभागीय बैठकों में राज्य में प्रत्येक दाखिल–खारिज याचिका, अपील तथा पुनरीक्षण के विरूद्ध आवेदक/भू–स्वामी पर शुल्क अधिरोपित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है, ताकि राजस्व वृद्धि में योगदान दिया जा सके ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त, बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 गठित किया गया है, विधेयक के अधिनियमित हो जाने के फलस्वरूप भूमि/भू–खण्ड के दाखिल–खारिज हेतु आवेदक से प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन तथा पुनरीक्षण के आवेदन पर 200/– शुल्क लिया जा सकेगा । उक्त शुल्क को राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है ।

यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल,
भार–साधक सदस्य।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना,
दिनांक-21.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 840-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in